न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 188/2015 दायरा दिनांक : 26.08.2015

उनवान

रोडी बाई पुत्री देवा पत्नी चम्पालाल, जाति धाकड, निवासी फतेहपुर, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रामचन्द्र पुत्र देवा, जाति धाकड, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

2– बाबूलाल पुत्र मांगीलाल, जाति धाकड, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां

3– काली बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी बिरधीलाल, जाति धाकड, निवासी पाकलखेडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4– बसंती बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी मुरारीलाल, जाति धाकड, निवासी किशनगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

5– सावित्री बाई पुत्री मांगीलाल, पत्नी देवकिशन, जाति धाकड, निवासी नाहरगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

6– विमला बाई पुत्र मांगीलाल पत्नी महावीर, जाति धाकड, निवासी ईसरपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7– लक्खू बाई पुत्री देवा पत्नी धन्ना लाल, जाति धाकड, निवासी समसपुर, तहसील बारां, जिला बारां

8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओ पी मेहता ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री राजेन्द्र सुमन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.11.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या — 51/2012 निर्णय दिनांक 06.05.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम तिसाया, तहसील बारां में आराजी खसरा नम्बर 82 रकबा 3.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 2.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 170 रकबा 2.73 हेक्टर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 853 रकबा 0.29 हेक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 7.28 हेक्टर आराजी स्थित है । आराजी प्रार्थिया के पिता के खाते की थी । पिता का देहान्त हो चुका है । प्रार्थिया और अप्रार्थीगण उनके वारिसान हैं । प्रार्थिया 1/4 हिस्सा अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की अधिकारी है । मांगीलाल का देहान्त हो चुका है उनके वारिसान अप्रार्थीगण 2 लगायत 6 हैं । राजस्व कर्मचारियों ने देवा जी की मृत्यु के बाद इंतकाल दोनों पुत्रों के नाम दर्ज कर दिया, जबकि

देवा जी के वारिसान प्रार्थिया और अप्रार्थीगण हैं । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की सही विवेचना नहीं की है । वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार देवा जी थे । देवा जी की मृत्यु के बाद आराजी रामचन्द्र और मांगीलाल के खाते दर्ज की गई, जबकि देवा जी के 4 खातेदार थे । अपीलांटगण का उसमें 1/4 हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी देवा जी के खाते से रामचन्द्र और मांगीलाल के खाते दर्ज हुई है, जबकि देवा जी की पुत्री होने के नाते वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेंटगण का है । इंतकाल उनके पक्ष में सन् 1985 में खोला गया था । अपीलांट ने उस इंतकाल को चुनौती नहीं दी थी । वादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेंट खातेदार एवं काबिज काश्तकार हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सलंग्न फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2065–68 के अनुसार कुल 7 किता की 7.28 हेक्टर आराजी बाबूलाल, काली बाई, बसन्ती बाई, सावित्री बाई, विमलाबई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/2, रामचन्द्र हिस्सा 1/2 दर्ज है । एक नामान्तरकरण की फोटो प्रति भी पत्रावली पर सलंग्न है । यह नामान्तरकरण संख्या 26 है जो देवा के फौत हो जाने के बाद खोला गया है, इस नामान्तरकरण में जो रिपोर्ट अंकित है उसमें पुत्री रोडीबाई और लक्खू बाई के मौजूद होने का अंकन भी किया गया है परन्तु नामान्तरकरण सिर्फ मांगी लाल और रामचन्द्र के पक्ष में तस्दीक किया गया है । अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थिया को देवा जी की पुत्री होना स्वीकार किया है । देवा जी की पुत्री होने के नाते प्रार्थिया प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है । यद्यपि पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगे इस स्टेज पर नहीं, परन्तु इस स्टेज पर देवा जी की पुत्री होने के नाते अपीलांट प्रार्थिया प्रथमदृष्टया 1/4 हिस्से की सहखातेदार घोषित होने की अधिकारिणी प्रतीत होती है । यदि अप्रार्थीगण सम्पूर्ण आराजी का विक्रय या अन्यथा खुर्द–बुर्द करते हैं तो प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति हो सकती है । इन तथ्यों के आधार पर सुविधा का संतुलन भी विक्रय और खुर्द बुर्द न करने की सीमा तक प्रार्थिया के पक्ष में तय पाया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र पुनः खारिज कर विधिक त्रुटि की है । प्रार्थिया

वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से की सीमा तक बेचान एवं खुर्द बुर्द न करने की सीमा तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.05.2015 अपास्त किया जाता है । अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ता फैसला दावा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 82 रकबा 3.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 2.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 170 रकबा 2.73 हेक्टर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 853 रकबा 0.29 हेक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 7.28 हेक्टर वाके ग्राम तिसाया, तहसील बारां में से 1/4 हिस्से का विक्रय या अन्यथा खुर्द बुर्द न करें ।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा